प्रेस नोट

दिनांक 29.05.2025

थाना बिवांर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 28.05.2025 को रात्रि करीब 01:46 बजे थाना मौदहा पीआरबी इवेंट पर ग्राम चमरखन्ना थाना बिवांर पहुंची। सूचनाकर्ता वरदानी द्वारा सूचना दी गई थी की बलिन्दा शराब पीकर लड़ाई झगड़ा व गाली गलौज कर रहा है। सूचना पर पीआरबी कमांडर हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार तथा चालक हेड कांस्टेबल संजय कुमार सिंह मौके पर पहुंचे तो 01. बलिन्दा वर्मा पुत्र सिद्ध गोपाल उर्फ सिद्धा (उम्र करीब 25 वर्ष) 02. सिद्ध गोपाल उर्फ सिद्धा वर्मा पुत्र गयादीन (उम्र करीब 50 वर्ष) निवासीगण ग्राम चमरखन्ना थाना बिवांर जनपद हमीरपुर ने कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया। प्रकरण के सम्बन्ध में थाना बिवांर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 - 96/25 धारा-132/221/109/352/115(2)/118(1) बीएनएस बनाम 01. सिध्दगोपाल वर्मा पुत्र गयादीन 02. बालेन्द्र उर्फ बालेन्दा पुत्र सिध्दगोपाल निवासीगण ग्राम चमरखन्ना थाना बिंवार जनपद हमीरपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

इसी क्रम में आज दिनांक 29.05.2025 को उपरोक्त अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु मुखबिर की सूचना पर तथा मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर थाना बिवांर पुलिस ग्राम लरौंद के पास पहुंची, तो अभियुक्त बालेंद्र पुत्र सिद्धगोपाल पुलिस टीम को आता देख भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा आगे बढ़कर अभियुक्त को घेरने का प्रयास किया गया, तो पुलिस से घिरा देख अभियुक्त ने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त के दाहिने पैर के घुटने के नीचे गोली लगी। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को मौके पर ही 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया व कुछ दूरी पर उसका अन्य साथी सिद्ध गोपाल उर्फ सिद्धा वर्मा पुत्र गयादीन को एक अदद कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया।
घायल अभियुक्त बालेंद्र पुत्र सिद्धगोपाल को उपचार हेतु सीएचसी मौदहा भेजवाया गया।

आज हुई मुठभेड के सम्बन्ध में थाना बिवांर जनपद हमीरपुर पर मु0अ0सं0 100/25 अभियुक्त बलिन्दा वर्मा पुत्र सिद्ध गोपाल उर्फ सिद्धा (उम्र करीब 25 वर्ष) निवासी ग्राम चमरखन्ना थाना बिवांर जनपद हमीरपुर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 109 बीएनएस (पुलिस मुठभेड) व 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

01. बलिन्दा वर्मा पुत्र सिद्ध गोपाल उर्फ सिद्धा (उम्र करीब 25 वर्ष)
02. सिद्ध गोपाल उर्फ सिद्धा वर्मा पुत्र गयादीन (उम्र करीब 50 वर्ष) निवासीगण ग्राम चमरखन्ना थाना बिवांर जनपद हमीरपुर।

बरामदगी

1. अभियुक्त बालेंद्र पुत्र सिद्धगोपाल के पास से (01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस बरामद)।
2. अभियुक्त सिद्ध गोपाल उर्फ सिद्धा वर्मा पुत्र गयादीन के पास से (01 अदद कुल्हाड़ी बरामद)।

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

01.प्र0नि0 धर्मेन्द्र कुमार
02.उ0नि0 अखिलेश प्रसाद
03.उ0नि0 रविन्द्र प्रसाद
04.उ0नि0 विजय बहादुर
05.उ0नि0 महेंद्र कुमार
06.उ0नि0 अंकित वैशला
07.हे0का0 कृष्ण कान्त शुक्ला
08.का0 राजेश कुमार
09.का0 आशीष कुमार
10.का0 हरिनंदन सिंह